राजस्थान सरकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

क्रमांकः एफ ( )रीडर/न्यायालय प्रकरण/2025/303 दिनांक 27.3.2025

वास्ते –

तहसीलदार
तहसील पचपहाड़

विषय – प्रकरण संख्या 3/प्रार्थना पत्र/2025 उनवान काना बनाम सरकार में पारीत निर्णय दिनांक 18.3.2025 के अनुसार पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में पारीत निर्णय दिनांक 18.3.2025 की छायाप्रति आपको संलग्न पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आप मुताबिक निर्णय पालना कर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवायें।

उप खण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी

Scanned with CamScanner

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

(निर्णय बइजलास सुश्री श्रद्धा गोमें, I.A.S. उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी)

प्रकरण संख्या 03/प्रार्थना पत्र/2025

काना पिता नाथू, जाति गूर्जर, निवासी गरनावद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़।

....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार तहसील पचपहाड़।

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

दिनांक 18.3.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके सहखातेदारी एवं खातेदारी ग्राम गरनावद में खाता संख्या 403 रकबा 0.0253 हेक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या 22 रकबा 3.0981 हेक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम कन्हीराम दर्ज है, जो सहवन से दर्ज हो गया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम काना है। खाते में प्रार्थी का नाम कन्हीराम दर्ज होने से प्रार्थी को खाते सम्बन्धित लेन देन में असुविधा होती है। इसलिये प्रार्थी ने उक्त वर्णित खाते में अपना नाम कन्हीराम के स्थान पर शुद्ध कर काना पुत्र नाथू किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार पचपहाड़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई, तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ(2)( )राजस्व/डिक्री/पालना/2025/369 दिनांक 03.03.2025 से रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसके अनुसार ग्राम गरनावद के राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 403 व 22 में कन्हीराम पुत्र नाथूलाल दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पूर्व में जमाबंदी संवत 2046–49 के खाता संख्या 107 में नाथू पिता देवा कौम गूर्जर सा. देह के नाम खाता दर्ज रेकार्ड थी। नाथू के फौत होने के बाद फौती नामान्तकरण संख्या 669 से मृतक नाथू के स्थान पर वारिसान पुत्र रामनारायण व कनीराम का नाम दर्ज हुआ। इसके बाद कन्हीराम व रामनारायण के अपसी सहमति बंटवारा से भूमि दोनो के पृथक पृथक खाते में दर्ज है। प्रार्थी के सम्बन्ध में ग्रामवासियान से पूछने पर बताया कि प्रार्थी को काना व कन्हीराम दोनो नामों से बुलाया जाता है, काना व कन्हीराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, नाथू के फौत होने के बाद नामा. संख्या 669 से प्रार्थी का नाम कन्हीराम दर्ज हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी

Scanned with CamScanner

हमने प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत रेकार्ड व तहसीलदार पचपहाड़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया और पाया कि ग्राम गरनावद की जमाबंदी खाता संख्या 403 नया, 409 पुराना में प्रार्थी का नाम कन्हीराम पुत्र नाथूलाल सहखातेदारी में दर्ज है, वहीं जमाबंदी खाता संख्या 22 नया, 33 पुराना में प्रार्थी का नाम कन्हीराम पुत्र नाथू दर्ज है, जबकि मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड की छायाप्रति के अनुसार इन दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम काना पुत्र नाथू दर्ज है। तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रार्थी को काना व कन्हीराम दोनो नामों से बुलाया जाता है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में निम्नानुसार क्रियात्मक आदेश प्रदान किया जाता है।

आदेश

प्रस्तुत रिकार्ड, रिपोर्ट तहसीलदार पचपहाड़ के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम गरनावद की जमाबंदी खाता संख्या 403 नया, 409 पुराना में प्रार्थी का नाम कन्हीराम पुत्र नाथूलाल के स्थान पर काना पुत्र नाथू व इसी प्रकार जमाबंदी खाता संख्या 22 नया, 33 पुराना में प्रार्थी का नाम कन्हीराम पुत्र नाथू के स्थान पर काना पुत्र नाथू दर्ज किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। तहसीलदार पचपहाड़ को निर्देशित किया जाता है, मुताबिक आदेश उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सही दर्ज करे।

(श्रद्धा गोमें, I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी

Scanned with CamScanner